

होटल प्रबंधन, खानपान प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान
पी-16, तारातला रोड, कोलकाता – 700 088
(पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत एक स्वायत्त निकाय)

पुनः ई-निविदा अधिसूचना

संदर्भ सं: सीटी/एडी-16(2)/23/

दिनांक: 15.03.2023

पूरा संस्थान परिसर में सुरक्षा व्यवस्था सहित सुरक्षा सेवाओं की तैनाती:

हमारे संस्थान में उपरोक्त सेवाओं के लिए कोलकाता पुलिस के तहत अनुभवी, प्रतिष्ठित, आर्थिक रूप से मजबूत और लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों से ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

इच्छुक कंपनियां लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अपनी कंपनी को वेबसाइट www.tenderwizard.com/CTANIHM में पंजीकृत करा सकती हैं।

निविदा की अनुसूची नीचे दी गई है:

ई-निविदा दस्तावेज को डाउनलोड करने की प्रारम्भ तिथि	15.03.2023 को 0900 बजे
ई-निविदा दस्तावेज को डाउनलोड करने की समाप्त तिथि	23.03.2023 को 1800 बजे
बोलियां ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि	24.03.2023 को 1800 बजे
निविदा खोलने की तिथि [तकनीकी बोली]	27.03.2023 को 1030 बजे
निविदा खोलने की तिथि [वित्तीय बोली]	27.03.2023 को 1200 बजे
निविदा लागत	1,000/- रुपये बैंक हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए: लाभार्थी का नाम - "INS OF HOTEL MAN CAT TEC & APP NUT (CAL) S" बैंक का नाम – एच.डी.एफ.सी बैंक, शाखा - न्यू अलीपुर, खाता संख्या 50100189547716, IFSC कोड - HDFC0000040,
बयाना जमा राशि	"Institute of Hotel Management, Kolkata" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से रु. 50,000/- का भुगतान।
ई-निविदा लागत	ई-निविदा वेबसाइट में उपलब्ध होंगे।

प्रबंधन बिना कोई कारण बताए किसी या सभी आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(अशोक कुमार प्रसाद)
प्रधानाचार्य (प्रभारी)

ई-निविदा जमा करने की प्रक्रिया

इच्छुक निविदाकर्ता जो भाग लेना चाहते हैं, वे वेबसाइट [www.tenderwizard.com/ IHM](http://www.tenderwizard.com/IHM) पर जाएं जो उनके प्रस्ताव की बोली लगाने के लिए एकमात्र वेबसाइट है। इसके अलावा, प्रक्रिया इस प्रकार है:

1. लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अपनी कंपनी को वेबसाइट www.tenderwizard.com/CTANIHM में पंजीकृत करें।
2. लॉगिन आईडी, पासवर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करते हुए, निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने के लिए निविदा पोर्टल दर्ज करें।
3. डीडी के माध्यम से ईएमडी का भुगतान करें और स्कैन कॉपी वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. पहले "दस्तावेज पुस्तकालय" में सहायक दस्तावेज संलग्न करें। फिर उन्हें विशेष निविदा में चुनकर संलग्न करें।
5. निविदा जमा करें। आपको निविदा जमा करने की "पावती प्रति" एक प्रणाली प्राप्त होगी।
6. निविदाकर्ता अंतिम तिथि और समय से पहले किसी भी समय उद्धृत दरों को बदल सकते हैं।

निविदाकर्ता को ऑनलाइन समापन तिथि और समय से पहले प्रस्ताव जमा करना होगा। ऑनलाइन समापन तिथि और समय के बाद वेबसाइट स्वचालित रूप से प्रस्ताव स्वीकार करना बंद कर देगी।

ई-टेंडर हेल्पडेस्क नंबर: 9073677150/151/152 और ईमेल आईडी-helpdesk518@etenderwizard.com। समर्थन और ई-निविदा प्रश्नों के लिए कृपया श्री ऋषि शंकर चटर्जी से संपर्क करें (helpdesk844@etenderwizard.com), मोबाइल नंबर - 09674758726,

सामान्य दिशानिर्देश

1. बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता द्वारा स्वयं हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, यदि निविदाकर्ता एक स्वामित्व वाली फर्म है और यदि साझेदारी फर्म हो तो एक भागीदार द्वारा। हालांकि, ऐसे मामले में, सभी भागीदारों से इस आशय का एक प्राधिकरण होना चाहिए कि एक भागीदार के रूप में बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को सभी भागीदारों की ओर से बोली दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है।
2. यदि निविदाकर्ता एक कंपनी है, तो सक्षम प्राधिकारी/बोर्ड के संकल्प से एक वैध प्राधिकरण होना चाहिए, जो व्यक्ति को कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करने और बोली दाखिल करने के लिए अधिकृत करता है।
3. कोई भी निविदा, यदि प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए बिना और बिना प्राधिकरण के पाई जाती है, तो उसे अस्वीकार किया जा सकता है।
4. निविदाकर्ता को अपना पूरा स्थायी और अस्थायी पता (यदि यह अलग है) देना होगा और उसका प्रमाण भी देना होगा/संलग्न करना होगा।
5. अनुबंध-II में वित्तीय बोली भारतीय रुपये में उद्धृत की जानी चाहिए और उसमें जीएसटी शामिल होना चाहिए।
6. बोलियां दो भागों में प्रस्तुत की जानी चाहिए अर्थात् तकनीकी बोली और वित्तीय बोली, निम्नलिखित तरीके से:

ए) ई-निविदा की तकनीकी बोली के तहत सभी सहायक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां, निविदा लागत के बैंक हस्तांतरण के लिए यू.टी.आर की प्रति और ईएमडी जमा करने के लिए डिमांड ड्राफ्ट की प्रति के साथ अपलोड की जानी चाहिए।

बी) अनुलग्नक II में दिए गए वित्तीय बोली को जीएसटी सहित INR में उद्धृत किया जाना चाहिए
7. निविदाकार के पास सभी आवश्यक वैधानिक पंजीकरण, दस्तावेज, जीएसटी, पैन, ईएसआई, ईपीएफ आदि सहित कर पंजीकरण होना चाहिए।
8. निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त किसी भी बोली को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में उस पर विचार नहीं किया जाएगा और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा कि प्रस्तुत करने में देरी डाक त्रुटि आदि के कारण हुई है।

9. तकनीकी बोलियों को निम्नलिखित संलग्नकों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए:

- ए) पैन कार्ड की प्रति ।
- बी) पिछले तीन साल के आईटी रिटर्न की कॉपी ।
- सी) फर्म / कंपनी पंजीकरण / संयोजन दस्तावेज ।
- डी) जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र ।
- इ) अन्य वैधानिक पंजीकरण/लाइसेंस, यदि कोई हो ।
- एफ) बैंक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट ।
- जी) अनुलग्नक-1 के अनुसार बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का विवरण और प्रासंगिक दस्तावेज।
- एच) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के सकल कारोबार और लाभ के साथ लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और लाभ और हानि ।
- आई) निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म की ओर से बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पक्ष में प्राधिकार/संकल्प।
- जे) मालिक/भागीदार/निदेशक के आधार कार्ड की कॉपी।
- के) अनुबंध III, IV और V में घोषणा।
- एल) अन्य दस्तावेज जो आवश्यक समझे जा सकते हैं और बोली दस्तावेज के किसी अन्य प्रावधान के तहत मांगे गए हैं और यहां ऊपर उल्लिखित नहीं हैं।

10. निविदा खुलने की तिथि से 30 दिनों तक वैध रहेगी । बोली जमा करने के बाद, यह माना जाएगा कि निविदाकर्ता ने 30 दिनों की पूरी अवधि के लिए अपनी निविदा को स्वीकृति के लिए खुला रखने का वचन दिया है, और उक्त अवधि की समाप्ति से पहले इसे वापस लेने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

11. सर्वप्रथम तकनीकी बोलियां निविदा खोलने की तिथि की अधिसूचना के अनुसार खोली जाएंगी जो संस्थान की वेबसाइट www.ihmkol.org पर प्रकाशित की जाएंगी। बोलियां बोली लगाने वाली पार्टियों या उनके प्रतिनिधियों और संस्थान की निविदा समिति के सदस्य के सामने खोली जाएंगी । तत्पश्चात् केवल उन्हीं निविदाकारों की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी जो तकनीकी बोलियों में योग्य होंगी।

12. अनुबंध सबसे कम बोली लगाने वाले और सभी मानदंडों को पूरा करने वाले को दिया जाएगा।

13. ऐसी निविदाएं जो उपरोक्त किसी भी शर्त को पूरा नहीं करती हैं या किसी भी तरह से अधूरी हैं, विधिवत हस्ताक्षरित आदि नहीं हैं, उसे अस्वीकार की जा सकती हैं।

14. संस्थान के पास बिना कोई कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है और निविदाकर्ता को इसे चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं होगा।

एजेंसी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

नियम एवं शर्तें

संस्थान निम्नलिखित नियमों और शर्तों के साथ वार्षिक अनुबंध पर आई.एच.एम, कोलकाता में सुरक्षा सेवाओं के लिए कार्मिकों की आउटसोर्सिंग के लिए एजेंसी को आमंत्रित करना चाहता है।

1. संस्थान के लिए निविदा दस्तावेजों की लागत [मैन्युअल सबमिशन और ई-निविदा दोनों के लिए] रुपये 1000/= [रुपये एक हजार] है। जो बैंक हस्तांतरण के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार बैंक में जमा किया जाना चाहिए और तकनीकी बोली के साथ यूटीआर की प्रति संलग्न की जानी चाहिए।

लाभार्थी का नाम - "होटल मैन कैट टीईसी और एपीपी नट (सीएएल) एस के आईएनएस"

बैंक का नाम - एचडीएफसी बैंक, शाखा - न्यू अलीपुर,

खाता संख्या 50100189547716, IFSC कोड - HDFC0000040

2. प्रत्येक निविदा के साथ रु. 50,000/- (पचास हजार रुपये) की बयाना राशि जमा करना होगा जिसका भुगतान "होटल प्रबंधन संस्थान, कोलकाता" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाना चाहिए। सफल निविदाकर्ता की ई.एम.डी (बयाना राशि) जमानत राशि प्राप्त करने के बाद वापस कर दी जाएगी। यदि निविदाकर्ता कार्य आदेश को स्वीकार करने से इनकार करता है या अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने से इनकार करता है, तो ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
3. नियमानुसार एम.एस.एम.ई आदि के लिए निविदा लागत और ईएमडी के भुगतान से छूट पर विचार किया जा सकता है।
4. सफल निविदाकार को कार्यदिश प्राप्त होने के बाद रु. 4,00,000.00 (चार लाख रुपये) की जमानत राशि "होटल प्रबंधन संस्थान, कोलकाता" के पक्ष में, कोलकाता में देय, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम अनुबंध की पूरी अवधि के लिए संस्थान में जमा करना होगा। अनुबंध के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद यह राशि बिना किसी ब्याज के साथ वापस कर दिया जाएगा। एम.एस.एम.ई/एस.एस.आई/एन.एस.आई/एन.जी.ओ आदि के लिए किसी भी परिस्थिति में सुरक्षा जमा राशि में छूट पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. अच्छी वित्तीय स्थिति और क्षमता वाले ठेकेदारों की निविदाओं पर ही विचार किया जाएगा।
6. सफल निविदाकर्ता की घोषणा से पहले वापस लेने वाले निविदाकार की बयाना राशि जब्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।
7. संस्थान बिना कोई कारण बताए दरों में कमी पर बातचीत करने या किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

कार्य का क्षेत्र

8. कार्यदेश अनुबंध की शर्तों के तहत निम्नलिखित क्षेत्रों/सुरक्षा बिंदुओं को प्रत्येक बिंदु पर सुरक्षा प्रहरी के साथ कवर किया जाना है: -

ए) संस्थान का मुख्य और संलग्नक भवन - सभी सार्वजनिक क्षेत्र, सभी कार्यालयों के साथ प्रशासनिक ब्लॉक, सभी प्रयोगशालाएं और व्यावहारिक कक्षाएं (अर्थात् रसोई, रेस्तरां, कपड़े धोने, कंप्यूटर कक्ष आदि)। सभी लेक्चर हॉल (अध्ययन कक्ष) स्टोर और रिसीविंग एरिया, कैफेटेरिया, आगे और पीछे के टरमैक, मेन गेट और आसपास के क्षेत्र, लॉकर रूम, सभी शौचालय और परिसर के भीतर मुख्य और एनेक्स बिल्डिंग सहित ऐसे क्षेत्र।

बी) पुरुष छात्रावास - पिछवाड़े, और सामने आंगन, छात्रावासों के पीछे और संलग्नक भवन, प्रिंसिपल क्वार्टर और स्टाफ क्वार्टर के सामने और पीछे।

सी) महिला छात्रावास - पिछवाड़े, और सामने का आंगन, मुख्य भवन के पीछे और संलग्नक भवन, सामने और पीछे

डी) स्टाफ क्वार्टर - बैकयार्ड, और स्टाफ क्वार्टर के सामने का आंगन टाइप - I, टाइप - II, टाइप - III और प्रिंसिपल क्वार्टर।

इ) संस्थान का मुख्य द्वार - अतिथि, आपूर्तिकर्ता, सरकार के अंदर और बाहर के नियंत्रण सहित संस्थान के पूरे परिसर में स्थापित संपूर्ण सुरक्षा को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए। अधिकारियों, ठेकेदारों और उनके कामगारों, छात्रों के माता-पिता और अभिभावक, संस्थान के आगंतुक, स्टाफ क्वार्टर और छात्रावास और संस्थान के समय के दौरान और संस्थान के समय के बाद संस्थान के छात्रावासों के छात्रों के लिए और संस्थान प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर पारित किसी भी निर्देश का पालन करने के लिए संस्थान के निर्धारित मानदंडों के अनुसार सभी अभिलेखों / लॉग बुक आदि के रखरखाव सहित समय। इस मामले में विस्तृत जानकारी ठेका दिए जाने के बाद ठेकेदार को दी जाएगी।

एफ) पूरे संस्थान परिसर में 24 घंटे पेट्रोलिंग

जी) संस्थान में किसी भी समारोह के दौरान, सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक की अतिरिक्त आवश्यकता को संस्थान प्राधिकरण की आवश्यकता/आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त शुल्क के साथ संस्थान और ठेकेदारों द्वारा परस्पर सहमति के अनुसार भुगतान किया जा सकता है।

समय और अन्य दायित्व

- सुरक्षा पर्यवेक्षक के परामर्श से संस्थान के संबंधित सुरक्षा प्रभारी द्वारा तैयार किए गए रोस्टर के अनुसार ड्यूटी के घंटे और शिफ्ट तय की जाएगी।
 - संस्थान की आवश्यकता के अनुसार आवंटन या कर्तव्य के बदलने का एकमात्र विचार/सिद्धान्त संस्थान के पास होगा।
 - 24 घंटे X 365 दिन सुरक्षा का पर्यवेक्षण अनिवार्य है।
 - किसी को भी एक दिन में लगातार दो पालियों में अपनी ड्यूटी जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 - एक साधारण कार्य दिवस में आधे घंटे के लिए अवकाश सहित 8½ घंटे का ड्यूटी पालन करना होगा।
 - एजेंसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आई.एच.एम, कोलकाता में उसके पेट्रोल (वेतनमान) पर कार्यरत सभी कर्मचारी समय पर ड्यूटी पर उपस्थित हों। उचित कारण और संस्थान के नोडल अधिकारी के अनुमोदन के बिना किसी को देर से आगमन या जल्दी प्रस्थान नहीं होगा। बायोमीट्रिक रिपोर्ट के अनुसार यदि कोई व्यक्ति को देखा जाए की सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना देर से ड्यूटी में हाज़िर हो या जल्दी ड्यूटी छोड़कर चला गया तो संस्थान मासिक बिल से समानुपातिक राशि काटने के लिए स्वतंत्र होगा।
9. संस्थान की संपत्ति की संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। ठेकेदार उपरोक्त वर्णित सभी सुरक्षा बिंदुओं को बनाए रखने और कार्य के संतोषजनक प्रदर्शन के लिए 14 (चौदह) संख्यक सुरक्षा प्रहरी [दो रिलीवर सहित] और 2 (दो) पर्यवेक्षक को तैनात करेगा। इस संबंध में कोई त्रुटि पाए जाने पर बिना कोई कारण बताए या नोटिस जारी किए अनुबंध को समाप्त कर दिया जाएगा। कार्यादेश के अनुसार ठेकेदार के पास निर्धारित की जाने वाली दर के अनुसार किसी भी बिंदु को बनाए रखने के विरुद्ध आनुपातिक राशि की कटौती की जाएगी।
10. प्रबंधन के निर्णय के अनुसार ही आवश्यकता के आधार पर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। आवश्यकता के अनुसार संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
11. सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। सुरक्षा कर्मियों और सुरक्षा पर्यवेक्षकों की संख्या को संस्थान द्वारा आवश्यकता के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
12. कर्मियों की अतिरिक्त आवश्यकता के लिए, ठेकेदार को संस्थान से सूचना प्राप्त होने पर तुरंत जवाब देना होगा।

13. तैनात कार्मिकों के आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक और राज्य के श्रम अधिनियम/नियमों के अनुरूप होनी चाहिए।
14. ठेका एजेंसी के अधीन कार्यरत कर्मियों के लिए अलग से रजिस्टर एवं बायोमैट्रिक मशीन पर भी दैनिक उपस्थिति दर्ज कराये, जिसकी निगरानी संस्थान के नामित अधिकारी द्वारा की जायेगी।
15. किसी भी सुरक्षाकर्मी की अनुपस्थिति के लिए तत्काल आधार पर प्रतिस्थापन किया जाना चाहिए।

अनुशासन और अन्य मानदंड

16. चूंकि सभी कार्मिक किसी भी आगंतुक के साथ-साथ संस्थान के हितधारकों जैसे छात्रों आदि के लिए संस्थान की छाप हैं, इसलिए, आईएचएम, कोलकाता में रखे गए प्रत्येक आउटसोर्स कार्मिक द्वारा उच्चतम सौंदर्य मानक बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। साफ और इस्त्री की गई वर्दी, जूता, यथोचित बाल कटवाना, अच्छी तरह शेविंग (शोर) और पहचान पत्र के साथ। यदि किसी आउटसोर्स कर्मचारी द्वारा इसका रखरखाव नहीं किया जाता है, तो इसकी सूचना उनकी संबंधित एजेंसी को दी जाएगी और यदि तीन रिमाइंडर के बाद भी कोई सुधार नहीं होता है, तो संस्थान उसे भविष्य में झूटी के लिए परिसर में नहीं रखेगा।
17. प्रत्येक सुरक्षा कर्मियों को ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली वर्दी [दो ग्रीष्मकालीन सेट और एक शीतकालीन सेट] जूते सहित पहननी चाहिए। वर्दी की कीमत ठेकेदार को वहन करनी होगी। वर्दी की सामग्री और जूते के नमूने के लिए संस्थान के सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
18. ठेकेदार को टॉर्च, बैटरी, छाता, लाठी, सीटी, बर्साती आदि और अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध कराना चाहिए।
19. ठेकेदार को उनके पे रोल पर प्रत्येक आउटसोर्स कर्मचारी को पहचान पत्र प्रदान करना चाहिए। झूटी के दौरान पहचान पत्र पहनना अनिवार्य है।
20. झूटी के दौरान सुरक्षा कर्मियों का आचरण और अनुशासन बनाए रखना होगा। किसी भी अवज्ञा या अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसे गंभीरता से लिया जाएगा जो कि कर्तव्य से हटाने के समान हो सकता है।

21. संस्थान में आउटसोर्स सुरक्षा कार्मिकों की त्रुटी के कारण चोरी/उठाईगीरी/क्षति या किसी प्रकार की हानि होने की स्थिति में, संस्थान के नुकसान का मूल्य या तो ठेकेदार द्वारा भुगतान किया जाएगा या उसके मासिक बिल से काट लिया जाएगा।
22. संस्थान की जाएदाद, संपत्ति, और दस्तावेजों की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार और ड्यूटी पर मौजूद उसके कर्मियों की होगी। संस्थान के प्राधिकरण के निर्देशानुसार कोई भी कर्मचारी यदि सोता हुआ पाया जाता है या ड्यूटी पर सतर्क नहीं है या अपने ड्यूटी स्थान पर नहीं है, तो संस्थान एजेंसी को संबंधित व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए कह सकता है। तीन रिमाइंडर के बाद भी यदि सुधार नहीं होता है तो संस्थान संबंधित कर्मचारी को ड्यूटी पर कैंपस में नहीं रखेगा।
23. ठेकेदार को कार्य स्थल (स्थानों) पर कोई आवासीय व्यवस्था, कार्य स्थल तक परिवहन आदि प्रदान नहीं किया जाएगा, अनुबंध के तहत स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने के अलावा, संस्थान का कोई अन्य दायित्व नहीं होगा।
24. इस कार्यालय में एजेंसी द्वारा तैनात व्यक्तियों के परिवहन, भोजन, चिकित्सा और अन्य किसी भी आवश्यकता को पूरा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी और इस संबंध में इस कार्यालय की कोई उत्तरदायित्व नहीं होगी।

वित्तीय और अन्य देनदारियां / दायित्व

25. एजेंसी ठेका श्रमिकों के न्यूनतम वेतन, भविष्य निधि, और कर्मचारी राज्य बीमा आदि सहित सभी वैधानिक प्रावधानों और आईएचएम, कोलकाता में उनके द्वारा तैनात किसी भी अन्य व्यक्तियों के संबंध में लागू कानून के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगी। इस संबंध में कार्यालय का कोई दायित्व नहीं होगा। भुगतान केवल तभी किया जाएगा जब प्रत्येक माह के बिल के साथ सांविधिक भुगतान प्राप्ति के सभी दस्तावेजी प्रमाण के साथ बिल को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया जाए, जिसमें लागू सभी वैधानिक कर शामिल हों। आउटसोर्स के आधार पर तैनात श्रमिकों को मासिक भुगतान किसी भी स्थिति में महीने के पहले पांच दिनों से अधिक समय तक ठेकेदार द्वारा रोका या विलंबित नहीं किया जा सकता है। किसी भी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण संस्थान द्वारा भुगतान जारी करने में देरी होने पर भी ठेकेदार को अपने कर्मचारियों को भुगतान जारी करने में सक्षम होना चाहिए।
26. ठेकेदार को वेतन भुगतान के 05 (पांच) दिनों के भीतर प्रत्येक माह में अपने पेरोल के तहत सभी कर्मचारियों को वेतन पर्ची भी उपलब्ध करानी होगी।
27. संविदाकार द्वारा तैनात कार्मिकों संविदा की अवधि के दौरान या संविदा की समाप्ति के बाद इस कार्यालय के नियमित/स्थायी कर्मचारियों को देय वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं के लिए न तो दावा करेगी और न ही हकदार होगी।

28. आईएचएम, कोलकाता श्रम या सामग्री, मशीनरी, उपकरण, आदि की कीमतों में किसी भी वृद्धि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा या किसी भी शुल्क, लेवी, या उसके संबंध में करों में वृद्धि और ठेकेदार की दरें इस तरह की वृद्धि से ठेकेदार का दायित्व अप्रभावित रहेगा। हालांकि, अनुबंध की अवधि के दौरान, जब भी श्रम आयुक्त, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी को संशोधित किया जाता है, तब कर्मियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए देय दरों को नए न्यूनतम वेतन में संशोधित किया जाएगा।
29. यदि माह में किसी भी दिन कोई एक या सभी कर्मियों द्वारा कार्य नहीं किया जाता है तो ठेकेदार के बिलों से आनुपातिक रूप से (प्रति दिन के आधार पर) कटौती की जाएगी।
30. कार्य निष्पादित करने के लिए ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मियों पूरी तरह से ठेकेदार की जिम्मेदारी है और आईएचएम, कोलकाता पर उनका कोई दावा/दायित्व नहीं होगा। ठेकेदार स्थानीय पुलिस स्टेशन में नियोजित कर्मियों की पहचान और स्थायी पते के बारे में सूचित करेगा। स्थानीय पुलिस थाने से प्राप्त पावती की एक प्रति इस कार्यालय में जमा की जानी चाहिए।
31. ठेकेदार को भूमि के कानून द्वारा आवश्यक श्रम कानूनों, नियमों और सभी वैधानिक दायित्वों के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा। संस्थान का इस मामले में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा और किसी भी / पूरे के उल्लंघन के मामले में; पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी। ठेकेदार अपने कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय किसी भी/सभी दावों/देय राशियों के निपटान के लिए और संस्थान के परिसर के भीतर अपने किसी कर्मचारी को चोट लगने या नुकसान होने की स्थिति में किसी भी/सभी दावों/बकाया के लिए जिम्मेदार होगा।
32. ठेकेदार किसी भी अधिनियम, कानूनों, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा, किसी भी कर या किसी अन्य मौजूदा अधिनियम या स्थिति का यहां विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसके तहत लगे व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आवेदन है। अनुबंध।
33. सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, ठेकेदार इस कार्यालय में नियोजित और तैनात कर्मियों ऑपरेटर के संबंध में विभिन्न श्रम कानूनों के अर्थ में "नियोक्ता" होगा। इस कार्यालय में ठेकेदार द्वारा तैनात कर्मियों के पास किसी भी मास्टर और नौकर संबंध का दावा नहीं होगा और न ही आईएचएम, कोलकाता के साथ या उसके खिलाफ कोई प्रिंसिपल और एजेंट संबंध होगा।
34. हमारे संस्थान में तैनात सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को उनके पेरोल के तहत उनके अनुपालन के लिए अनुबंध के सभी नियमों, विनियमों, और शर्तों से अवगत कराना एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।

तैनात आउटसोर्स कर्मियों का मानदंड

35. श्रम आयुक्त, पश्चिम बंगाल सरकार के नियमों के अनुसार सभी सुरक्षा कर्मियों के पास अच्छा स्वास्थ्य और काया और संबंधित क्षेत्र के कार्य / नौकरी के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता / कौशल होना चाहिए। एजेंसी द्वारा हमारे संस्थान में तैनात व्यक्ति के सभी प्रमाणित सहायक दस्तावेजों सहित विस्तृत विवरण नया अनुबंध प्राप्त करने के एक महीने के भीतर पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ हमारे कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

- ए) नाम :
- बी) जन्म की तारीख :
- सी) वर्तमान पता :
- डी) स्थायी पता :
- इ) वैवाहिक स्थिति :
- एफ) ऊंचाई और वजन :
- जी) उम्र :
- एच) योग्यता / कौशल:

आई) कार्य करने के वर्षों की संख्या : एजेंसी का नाम, पदस्थापन का स्थान और अवधि

36. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा नियुक्त कर्मियों का एक अच्छा नैतिक चरित्र और उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा हो। संस्थान के किसी भी अनुशासन और मर्यादा के उल्लंघन के मामले में, उसके द्वारा लगाए गए किसी भी कर्मचारी की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी और उसके कर्मचारी द्वारा इस तरह के अनुशासनहीनता व्यवहार से संबंधित किसी भी व्यय को ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

37. ठेकेदार अपने कर्मचारियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करेगा।

भुगतान और संबंधित जानकारी

38. तीस (30) दिनों के भीतर निम्नलिखित दस्तावेजों के द्वारा समर्थित बिल जमा करने के बाद मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा [अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर] द्वारा समर्थित:

- संस्थान के प्राधिकरण द्वारा विधिवत प्रमाणित उपस्थिति पत्र / शिफ्ट रिपोर्ट की तारीख-वार की एक प्रति।
- ठेकेदार को एजेंसी द्वारा नियुक्त कर्मियों को विशिष्ट क्षेत्रों में काम को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के बाद न्यूनतम मजदूरी के संवितरण की एक प्रति और चालान की प्रमाणित प्रतियां के साथ सभी वैधानिक आवश्यकताओं का पालन किया गया दस्तावेजों यथा इ.एस.आई, भविष्य निधि एवं और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज

iii) इन नियमों और शर्तों के तहत ठेकेदार को किसी भी अधिक भुगतान के लिए बाद में ठेकेदार द्वारा जमा किए गए अगले बिल से वसूल किया जाएगा, और यदि इस तरह के अधिक भुगतान या उसके किसी हिस्से या उसके बाद ठेकेदार द्वारा प्रेषित किया जाता है, तो इस तरह की वसूली की गई राशि ठेकेदार को वापस कर दिया जाएगा। संस्थान को सुरक्षा जमा राशि से भी अधिक शुल्क वसूलने का अधिकार होगा।

iv) ठेकेदार के तहत व्यक्तिगत कर्मचारी के लिए जमा की गई राशि का विवरण दिखाने वाला एक विवरण हर महीने/तिमाही बिल के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

v) यदि माह में किसी भी दिन किसी भी कर्मचारी द्वारा कार्य नहीं किया जाता है, तो ठेकेदार के बिलों से आनुपातिक रूप से (प्रति दिन के आधार पर) कटौती की जाएगी।

39. टीडीएस (आयकर) आईटी अधिनियम के अनुसार बिलों के सकल मूल्य से लागू होगा।

40. ठेकेदारों द्वारा नियुक्त सभी व्यक्ति ठेकेदार के पेरोल पर होंगे और केवल उनके द्वारा भुगतान किया जाएगा, इस संबंध में संस्थान का कोई दायित्व नहीं होगा। अनुबंध के तहत ठेकेदार के कर्मियों को संस्थान में किसी भी प्रत्यक्ष रोजगार का दावा करने या संस्थान के कर्मचारी के रूप में किसी भी समय सुलूक करने का अधिकार या ग्रहणाधिकार प्रदान नहीं करेगा। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए/बनाए जाने वाले अधिनियमों/नियमों या सक्षम प्राधिकारी की किसी अन्य प्रशासनिक अधिसूचना से उत्पन्न होने वाली सभी प्रशासनिक और वित्तीय जिम्मेदारियों/दायित्वों को ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

41. ठेकेदार को उक्त कार्य अनुबंध के संबंध में सभी वैधानिक दायित्वों को पूरा करना होगा। ठेकेदार को श्रम कानूनों, नियमों और भूमि के कानून द्वारा अपेक्षित सभी वैधानिक दायित्वों के सभी प्रावधानों का पालन करना चाहिए। संस्थान इस मामले में कोई दायित्व नहीं लेगा और कोई भी / पूरे, किसी उल्लंघन के मामले में; पूरी जिम्मेदारी सिर्फ ठेकेदार की होगी। संस्थान के परिसर में अपने किसी कर्मचारी को चोट लगने या क्षति होने की स्थिति में किसी भी/सभी दावों/बकायों के निपटान के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा।

समाप्ति और अन्य धाराएं

42. संस्थान के पास अनुबंध को समाप्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है यदि -

i) ठेकेदार अनुबंध में निर्दिष्ट अवधि के भीतर या संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले किसी भी विस्तार के भीतर सेवाओं को प्रदान करने में विफल रहता है।

ii) यदि अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है।

iii) यदि बाद की तारीख में यह पाया जाता है कि ठेकेदार द्वारा जमा किए गए दस्तावेज और प्रमाण पत्र जाली हैं या उनमें हेराफेरी की गई है, तो ठेकेदार को जारी किए गए कार्य आदेश को रद्द कर दिया जाएगा और ठेकेदार द्वारा संस्थान को जमा किया सुरक्षा राशि बिना किसी दावे के जब्त कर लिया जाएगा। संस्थान पर जो कुछ भी हो और ठेकेदार मौजूदा कानूनों के तहत उचित कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

43. यहां दर्ज की गई शर्तों के अनुसार काम पूरा करने में 'ठेकेदार' की ओर से विफलता की स्थिति में, संस्थान को ठेकेदार की लागत और जोखिम पर वैकल्पिक व्यवस्था करने का अधिकार होगा। ठेकेदार संस्थान को अतिरिक्त लागत की प्रतिपूर्ति करेगा और ऐसा करने में उसकी विफलता के मामले में संस्थान को ठेकेदार की सुरक्षा जमा राशि या ठेकेदार द्वारा संस्थान को देय किसी भी अन्य देय राशि से वसूली का अधिकार होगा। यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि मुआवजे के लिए संस्थान का अधिकार और ठेकेदार का दायित्व सुरक्षा जमा और/या बकाया राशि की सीमा तक सीमित नहीं है। संस्थान को सुरक्षा जमा और/या संस्थान के पास उपलब्ध देय राशि से अधिक के अपने दावे की वसूली के लिए ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार होगा। संस्थान को सुरक्षा जमा को रोकने का अधिकार है और यदि आवश्यक हो तो ठेकेदार की बकाया राशि का पूरी तरह से निपटान होने तक इसे उचित ठहराया जा सकता है।
44. यहां निर्धारित शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में संस्थान को इसके उल्लंघन के कारण नुकसान का दावा करने के संस्थान के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुबंध को समाप्त करने की स्वतंत्रता होगी। संस्थान अपने एकमात्र निर्णय में बिना कोई कारण बताए एक महीने का नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त कर सकता है और ठेकेदार और उसके सुरक्षा कर्मियों को इस तरह की समाप्ति की स्थिति में, इस तरह की अवधि की समाप्ति पर इस उद्देश्य के लिए संचालन के क्षेत्र को खाली करना होगा। अनुबंध, बयाना जमा की वापसी किसी भी देय राशि, दंड, अन्य वसूली आदि की कटौती के अधीन होगी।
45. ठेकेदार एतद्वारा/संविदा करने के लिए संस्थान द्वारा या उसके अधीन कार्यरत अधिकारियों या अन्य व्यक्तियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित या किसी भी तरह से संबंधित नहीं होगा, और न ही ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, दे या किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को या संस्थान के तहत किसी भी विभाग में भुगतान करने या देने की अनुमति देने का वादा, अनुबंध के प्रदर्शन से संबंधित किसी भी मामले या चीज़ के लिए पैसा या ग्रेच्युटी, शुल्क या इनाम।
46. संस्थान की लिखित अनुमति के बिना ठेकेदार वर्तमान अनुबंध को नहीं सोंपेगा या किसी भी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रबंधन या उसके प्रदर्शन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा।

47. प्रत्येक निविदा के लिए अधिकतम अवधि का उल्लेख किया जाना चाहिए जो अच्छी तरह से हो। वित्तीय बोली खुलने के बाद कम से कम एक वर्ष के लिए निविदा अच्छी होनी चाहिए। अनुबंध को बढ़ाए जाने की स्थिति में, प्रबंधन के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह ठेकेदार को अनुबंधित अवधि से अधिक एक वर्ष की अवधि के लिए तत्काल पूर्ववर्ती महीने की दरों पर अनुबंध जारी रखने के लिए कह सकता है, बशर्ते कि ऐसा विस्तार अगले वर्ष की निविदाओं से पहले की गई निविदाओं को संस्थान द्वारा स्वीकार किया जाता है और संबंधित ठेकेदार को सूचित किया जाता है। इसी प्रकार, प्रबंधन के पास अनुबंध के प्रारंभ को तीन महीने की अवधि के लिए स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।
48. ठेकेदार तैनात कर्मियों से संबंधित शिकायतों के निवारण/विवादों के समाधान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। यह कार्यालय किसी भी तरह से ऐसे मुद्दों के समाधान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यह कार्यालय ठेकेदार द्वारा अपने कार्यों/कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान या किसी भी मुआवजे के भुगतान के लिए तैनात किसी भी कर्मियों को किसी भी नुकसान, हानि, दावों, वित्तीय या अन्य चोटों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
49. कार्यों के प्रदर्शन के दौरान ठेकेदार अपनी लागत और पहल पर भूमि के सभी लागू कानूनों और किसी भी और सभी लागू उप-नियमों, विनियमों और आदेशों और कानून के बल वाले किसी भी अन्य प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करेगा। सरकार, सरकारी एजेंसी या नगरपालिका बोर्ड, अन्य नियामक या अधिकृत निकाय या व्यक्तियों की सरकार द्वारा बनाया या प्रख्यापित या बनाया या प्रख्यापित माना जाता है और इस तरह के लागू कानून, उपनियमों, नियमों के अनुसार आवश्यक अनुपालन के सभी प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। विनियम, आदेश और/या प्रावधान। ठेकेदार अनुबंध दस्तावेजों में निर्दिष्ट कार्य के प्रदर्शन में लगे अपने कर्मचारियों, नौकरों या एजेंटों के रूप में सभी योगदान और पेट्रोल करों के भुगतान के लिए पूरी जिम्मेदारी ग्रहण करेगा।
50. निविदाकर्ता को उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के लिए किसी भी रोजगार या श्रम संबंधी गतिविधियों के लिए संस्थान को क्षतिपूर्ति करनी चाहिए, साथ ही संबंधित विभाग के कोलकाता कार्यालयों से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की क्षतिपूर्ति करनी चाहिए।
51. यदि कोई फर्म "शून्य" शुल्क/विचार उद्धृत करती है, तो बोली को अनुत्तरदायी माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा। सेवा शुल्क टीडीएस और सरकार द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य शुल्कों के लिए वैधानिक कटौती को पूरा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। उद्धृत सेवा शुल्क के मामले में ऐसी वैधानिक कटौती से कम है, तो बोली को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

न्याय सीमा

52. इस अनुबंध के तहत सभी मामले और विवाद केवल माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

अप्रत्याशित घटना

53. न तो आई.एच.एम, कोलकाता और न ही एजेंसी को इस अनुबंध के उल्लंघन में इस हद तक माना जाएगा कि उनके संबंधित दायित्वों के प्रदर्शन को अप्रत्याशित घटना (प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, ईश्वर का अधिनियम आदि) से रोका जाता है जो प्रभावी तिथि के बाद उत्पन्न होता है।

समझौता

54. संस्थान से स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर संस्थान द्वारा आदेश दिए जाने से पहले निविदा के सभी नियमों और शर्तों को शामिल करते हुए संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने हैं। उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर की लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी।

अनिवार्य उपस्थिति

55. बोली जमा करने से पहले एजेंसी के लिए स्पष्ट विचार रखने के लिए संस्थान का दौरा करना अनिवार्य है और अनुबंध III में दिए गए विधिवत भरे हुए फॉर्म को जमा करना अनिवार्य है।

अनिवार्य प्रस्तुति

56. अनुबंध I, III, IV और V के साथ बयाना राशि, निविदा लागत और सभी संबंधित दस्तावेजों की फोटोकॉपी एक मुहरबंद लिफाफे में निविदा दस्तावेज के साथ जमा की जानी चाहिए। अनुलग्नक II, जो कि वित्तीय बोली है, एक अलग लिफाफे में (निविदा प्रस्तुत करने के लिए) प्रस्तुत की जानी चाहिए, लेकिन ई-निविदा के लिए, वित्तीय बोली ऑनलाइन के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए (ई-निविदा के लिए वित्तीय बोली को मैनुअल रूप से प्रस्तुत करना स्वीकार नहीं किया जाएगा)) उपरोक्त दस्तावेजों में से किसी के बिना या दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-अनुपालन के बिना प्रस्तुत किए जाने पर निविदा को अस्वीकार कर दिया जा सकता है।

एजेंसी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

अनुलग्नक -I

सुरक्षा सेवाओं के लिए तकनीकी बोली
(जो लागू न हो उसे काट दें)

1. निविदाकर्ता का नाम

पुत्र/पत्नी/पुत्री

आयु / डी.ओ.बी

2. फर्म/कंपनी का नाम

स्थायी पता

पंजीकृत कार्यालय (यदि कोई हो)

टेलीफोन नंबर (कार्यालय)

(निवास स्थान)

(मोबाइल)

3. कंपनी/स्थापना/यूनिट का पता

4. व्यवसाय का वार्षिक कारोबार

(75 लाख से कम नहीं होनी चाहिए)

5. निविदाकर्ता की स्थिति (चाहे एकमात्र)

प्रोपराइटर/एचयूएफ बिजनेस/
पार्टनरशिप / लिमिटेड कंपनी

6. इसके हस्ताक्षरकर्ता की स्थिति

एचयूएफ व्यवसाय के मामले में निविदा/
पार्टनरशिप / लिमिटेड कंपनी

7. बैंकों के नाम और पता

खाता क्रमांक।

8. लाइसेंस का विवरण: निविदा निम्नलिखित दस्तावेजों की फोटोकॉपी के साथ जमा की जानी चाहिए:

ए) वैध व्यापार लाइसेंस।

बी) निजी के रूप में कोलकाता पुलिस से वैध लाइसेंस। सुरक्षा एजेंसी।

सी) वैध व्यावसायिक कर पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या के साथ।

डी) वैध भविष्य निधि पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या के साथ।

इ) वैध ई.एस.आई. संख्या के साथ पंजीकरण ।

एफ) वैध जीएसटी पंजीकरण संख्या के साथ ।

जी) संख्या के साथ वैध श्रम लाइसेंस पंजीकरण संख्या के साथ ।

एच) वैध सुरक्षा लाइसेंस पंजीकरण संख्या के साथ ।

आई) 1,000/- रुपये की निविदा लागत स्थानांतरित करने के लिए यूटीआर की प्रति

9. व्यापार में पिछला अनुभव

(क्रेडेंशियल्स की एक संक्षिप्त और प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी है)

10. अंतिम आयकर का विवरण : स्थायी खाते के साथ मूल्यांकन संख्या

(आईटी की फोटोकॉपी रिटर्न संलग्न किया जाना है)

11. पिछले तीन वर्षों की बैलेंस शीट: कंपनी/फर्म को संलग्न करना आवश्यक है

वित्तीय टर्न ओवर 75.00 लाख से कम नहीं हो)।

12. बयाना जमा राशि का विवरण :

(डीडी नंबर: और तारीख):

13. विधिवत हस्ताक्षरित स्थान अवलोकन रिपोर्ट का प्रपत्र:

निविदाकर्ता और संस्थान प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से

टिप्पणी:

- ए) एकमात्र स्वामित्व वाली संस्था के मामले में, मालिक का नाम, पिता/पति का नाम, आयु, आवासीय पता और कार्यालय और निवास फोन नंबर इंगित किए जाने हैं।
- बी) साझेदारी प्रतिष्ठान के मामले में, पंजीकृत पार्टनरशिप डीड की सत्यापित फोटोस्टेट प्रति संलग्न की जानी चाहिए। पार्टनरशिप डीड में विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए कि एक विशेष भागीदार या साझेदार फर्म/कंपनी के किसी भी मामले से निपटने के लिए अधिकृत हैं। पार्टनरशिप फर्म के साथ-साथ व्यक्तिगत भागीदारों (पिछले 3 वर्षों के लिए) के आयकर निर्धारण की प्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न की जानी है।
- सी) एचयूएफ व्यवसाय के मामले में, आयकर विवरणी/प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए।
- डी) अन्य सभी मामलों में, पिछले तीन वर्षों के आईटी रिटर्न जमा करने होंगे।

एजेंसी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

अनुलग्नक II

संस्थान परिसर में सुरक्षा व्यवस्था सहित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के लिए वित्तीय बोली

वित्तीय बोली के लिए प्रति व्यक्ति कुल लागत के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए निविदाकर्ता को केवल सेवा शुल्क का कॉलम भरना चाहिए, अन्य कॉलम पश्चिम बंगाल सरकार के मौजूदा नियमों के अनुसार संस्थान प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

आवश्यक गार्ड की कुल संख्या – 14 संख्या ((दो राहत देने वालों सहित)

कुल पर्यवेक्षक की आवश्यकता - 02

कुल तैनाती का 0% अधिमानतः भूतपूर्व सैनिकों से होना चाहिए

क्रम संख्या	विवरण में दरों का विवरण	सुरक्षा कर्मी	सुरक्षा पर्यवेक्षक
1	पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम विभाग अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम मजदूरी।		
2	नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि		
3	नियमानुसार ईएसआई		
4	बोनस (नियमानुसार और संस्थान के प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने पर)		
5	सेवा शुल्क / स्थापना शुल्क / प्रशासनिक शुल्क		
कुल =			

एजेंसी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

अनुलग्नक III

निविदाकर्ता के लेटर हेड पर

प्रमाणित किया जाता है कि मैं/हम श्री मैसर्स
..... की ओर से पी-16, ताराताला रोड,
कोलकाता - 700088 में होटल प्रबंधन संस्थान का दौरा किया है। सुरक्षा कर्मियों के कर्तव्य, काम की
जिम्मेदारी और कार्य स्थल को समझने के लिए दिनांक को।

मैं/हम संस्थान की सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा सेवाओं के संबंध में समुचा जिम्मेदारी को पूरी तरह से समझते
हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है।

एजेंसी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

अनुलग्नक IV

निविदा में भाग लेने के लिए ब्लैकलिस्टिंग / डिबारिंग के संबंध में घोषणा

(निविदाकर्ता द्वारा रु.10/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर पब्लिक नोटरी/कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित और सत्यापित किया जाना है)

मैं/हम _____ (निविदाकर्ता) एतद्वारा घोषणा करते हैं कि निविदाकर्ता अर्थात् मैसर्स _____ को भारत में सरकारी निविदाओं में भाग लेने से संघ / राज्य सरकार या किसी भी संगठन द्वारा पूर्व में ब्लैकलिस्ट या प्रतिबंधित नहीं किया गया है और किसी भी श्रम न्यायालयों में कोई मुकदमा नहीं है।।

(या)

मैं/हम _____ (निविदाकर्ता) एतद्वारा घोषणा करते हैं कि निविदाकर्ता अर्थात् मैसर्स _____ को संघ / राज्य सरकार या किसी भी संगठन द्वारा _____ वर्षों की अवधि के लिए सरकारी निविदाओं में भाग लेने से काली सूची में डाल दिया गया था या प्रतिबंधित कर दिया गया था _____ से _____ अवधि के लिए। _____ को यह अवधि समाप्त हो गई है और अब फर्म/कंपनी सरकारी निविदाओं में भाग लेने की हकदार है।

यदि उपरोक्त जानकारी गलत पाई जाती है, तो मैं/हम पूरी तरह से जानते हैं कि प्रधानाचार्य, आईएचएम, कोलकाता द्वारा निविदा/अनुबंध को अस्वीकार/रद्द कर दिया जाएगा और बयाना जमा / सुरक्षा राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

उपरोक्त के अलावा, प्रधानाचार्य, आईएचएम, कोलकाता किसी भी पूर्ण/आंशिक रूप से पूर्ण कार्य के लिए बिलों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

साक्षी

अनुप्रमाणित:

(सार्वजनिक नोटरी/कार्यपालक दंडाधिकारी)

नाम _____

पता _____

अनुलग्नक V

सरकार सहित प्रमुख ग्राहकों की सूची, संगठन/शैक्षणिक संस्थान

क्रम संख्या	संपर्क विवरण के साथ ग्राहक का नाम	श्रेणी / आपूर्ति की गई कर्मियों की प्रकृति	वह अवधि जिसके लिए कर्मियों की आपूर्ति की गई [वर्ष]	कर्मियों आपूर्ति की संख्या
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

नोट:- कृपया वरिष्ठ कार्यपालकों के कम से कम दो संदर्भ निम्नानुसार प्रस्तुत करें:

क्रमसंख्या	नाम और पद	कंपनी/फार्म का नाम	पता	लैडलाइन न.	मोबाइल न.	ई-मेल आइ.डी
1.						
2.						

उपरोक्त जानकारी के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न की जानी हैं।

कार्यदिश / पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रतियों के साथ चल रही परियोजनाओं की सूची भी उपलब्ध कराएं

पिछले तीन वर्षों के दौरान कारोबार

क्रमांक	वर्ष	कारोबार (आंकड़े और शब्द में)	प्रति संलग्न/संलग्न नहीं

कृपया उपरोक्त तथ्यों के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) द्वारा विधिवत सत्यापित दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें।

उपरोक्त जानकारी के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न की जानी हैं।

उपक्रम

(ए) मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है। मुझे इस दस्तावेज में दी गई किसी भी या सभी जानकारी को संबंधित अधिकारियों के साथ सत्यापित करने के लिए संस्थान से कोई आपत्ति नहीं है, यदि आवश्यक हो।

(बी) मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि, मैंने कार्य के पूर्ण दायरे को समझ लिया है; निविदा दस्तावेज में उल्लिखित सभी नियम और शर्तें और उन सभी को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं।

(सी) मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि नामांकित सभी कर्मचारी पुलिस सत्यापित हैं।

एजेंसी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर